प्रेस विज्ञप्ति

25.09.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय (एनएफएसयू), गांधीनगर के साथ समझौता करार (एमओए) का नवीनीकरण करते हुए उस पर हस्ताक्षर किए हैं, जो साइबर फोरेंसिक एवं डिजिटल जांच क्षमताओं के क्षेत्र में दोनों संस्थानों के बीच लंबे समय से चले आ रहे सहयोग के महत्वपूर्ण विस्तार को दर्शाता है।

यह एमओए वर्ष 2021 में एनएफएसयू और ईडी के बीच हस्ताक्षरित पूर्ववर्ती एमओए का विस्तार है, जिसके अंतर्गत एनएफएसयू ने विभिन्न क्षेत्रों में डिजिटल फोरेंसिक साइबर प्रयोगशालाओं की स्थापना एवं उनके अनुरक्षण के माध्यम से ईडी की डिजिटल फोरेंसिक क्षमताओं को सुदृढ़ किया था। उक्त पांच वर्षीय अवधि के सफलतापूर्वक पूर्ण होने के उपरांत, नया समझौता आगामी पांच वर्षों की अतिरिक्त अवधि के लिए प्रभावी रहेगा।

नए एमओए के अंतर्गत, एनएफएसयू भारत में विभिन्न स्थानों पर ईडी के लिए साइबर फोरेंसिक प्रयोगशालाओं की स्थापना एवं उन्नयन हेतु परामर्श सेवाएं प्रदान करेगा। इनमें अवसंरचना विकास, उन्नत फोरेंसिक उपकरण, क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण तथा डिजिटल फोरेंसिक, साइबर अपराध जांच एवं संबंधित क्षेत्रों में तकनीकी सहायता शामिल होगी। एनएफएसयू फोरेंसिक एवं संबद्ध विज्ञानों से संबंधित परियोजनाओं और अनुसंधान कार्यों में केंद्र तथा राज्य सरकारों के साथ निकट समन्वय में कार्य करता है और डिजिटल फोरेंसिक, मैलवेयर विश्लेषण, नेटवर्क फोरेंसिक तथा क्रिप्टो एवं ब्लॉकचेन अनुरेखण जैसे क्षेत्रों में अत्याधुनिक विशेषज्ञता के राष्ट्रीय केंद्र के रूप में उभरा है। ये वही क्षेत्र हैं, जो आधुनिक वित्तीय अपराधों की जांच के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

एनएफएसयू के शैक्षणिक एवं अनुसंधान सामर्थ्य से समर्थित विशिष्ट अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, नवीनतम फोरेंसिक कार्यप्रणालियों में ईडी अधिकारियों के कौशल संवर्धन में निरंतर सहायक होंगे। इससे यह सुनिश्चित होगा कि ईडी के कार्मिक वित्तीय एवं साइबर अपराधों के बदलते स्वरूप के अनुरूप अपनी जांच एवं फोरेंसिक क्षमताओं को निरंतर अद्यतन रख सकें।

यह नवीकृत सहयोग डिजिटल एवं साइबर घटकों से जुड़े वित्तीय अपराधों से निपटने के लिए अपनी तकनीकी एवं जांच क्षमताओं को निरंतर सुदृढ़ करने की ईडी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह सहयोग धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 तथा भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम (एफईओए), 2018 के अंतर्गत ईडी को प्राप्त अधिदेश के अनुरूप है। यह साझेदारी आधुनिक वित्तीय अपराधों की जांच में विशिष्ट फोरेंसिक विशेषज्ञता के बढ़ते महत्व को भी रेखांकित करती है तथा देश में विश्वस्तरीय साइबर फोरेंसिक अवसंरचना के निर्माण के प्रति दोनों संस्थानों की साझा प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि करती है।
